

## कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)


क्रमांक : स्था0/2024/31

दिनांक : 18.06.2024

**:: आ दे श ::**

मैं सृष्टि चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-14(1) व 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी के अनुमोदन आदेशांक स्था./2024/5614 दिनांक 18.06.2024 के अनुक्रम में तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का परिपत्र क्रमांक : 05/पी.आई./2014 दिनांक 18.03.2017 के अनुक्रम में बून्दी मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के मध्य प्रशासनिक प्रयोजनों से क्षेत्राधिकार में आंशिक संशोधन करते हुए इस कार्यालय के पूर्व में प्रसारित आदेश क्रमांक स्था./2024/05 दिनांक 06.02.2024 को इस आदेश की सीमा तक अतिल्लंघित करते हुए निम्न क्षेत्राधिकार प्रदत्त करती हूँ-


क्र. सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार की सीमा
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण (धारा 138 एन.आई. एक्ट व एम.वी. एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)।</li> <li>2. बून्दी जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित आपराधिक प्रकरण।</li> <li>3. साईबर पुलिस थाना बून्दी की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के अपराधिक प्रकरण।</li> </ol>
2.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पुलिस थाना सदर, बून्दी की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण (धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</li> <li>2. आबकारी थाना, बून्दी शहर एवं आबकारी निरीक्षक, वृत्त बून्दी नगर की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, बून्दी (राजस्थान)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बून्दी मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में लगने वाले पुलिस थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के धारा 138 एन.आई. एक्ट के नये प्रकरण तथा दिनांक 01.06.2024 से उद्भूत हुए प्रकरण।</li> </ol>
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2, बून्दी (राजस्थान)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पुलिस थाना नमाना व गेण्डोली की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-3, बून्दी (राजस्थान)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. महिला पुलिस थाना बून्दी व पुलिस थाना रायथल की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।</li> <li>2. पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी एवं पुलिस थाना सदर, बून्दी की सीमा में आने वाले एम.वी. एक्ट के सभी प्रकार के प्रकरण (डी.टी.ओ. व आर.टी.ओ. के प्रकरणों सहित)</li> </ol>
6.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. दिनांक 31.05.2024 तक लम्बित एन.आई. एक्ट के प्रकरण।</li> </ol>


  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 बून्दी (राज.)

उक्त न्यायालयों के अतिरिक्त शेष निम्न न्यायालयों (बून्दी मुख्यालय से बाहर स्थित न्यायालयों) का क्षेत्राधिकार पूर्ववत् निम्नानुसार ही रहेगा :-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार की सीमा
1.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां जिला बून्दी (राज0)	1. पुलिस थाना, नैनवां एवं आबकारी निरीक्षक वृत्त, नैनवां की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
2.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशवरायपाटन जिला बून्दी	1. ग्राम न्यायालय, तालेड़ा के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर, पुलिस थाना केशवरायपाटन एवं आबकारी निरीक्षक वृत्त, बून्दी रोड़, के.पाटन की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
3.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)	1. पुलिस थाना हिण्डोली, बसोली एवं आबकारी थाना नैनवां मुख्यालय हिण्डोली की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)	1. पुलिस थाना दबलाना की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)	1. ग्राम न्यायालय, तालेड़ा के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर, पुलिस थाना तालेड़ा एवं डाबी की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
6.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशवरायपाटन जिला बून्दी	1. पुलिस थाना कापरेन की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
7.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां, जिला बून्दी (राजस्थान)	1. पुलिस थाना देई व करवर की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
8.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राजस्थान)	1. पुलिस थाना इन्द्रगढ़ की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
9.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी जिला बून्दी (राजस्थान)	1. पुलिस थाना लाखेरी, देईखेड़ा एवं आबकारी थाना लाखेरी की सीमा में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरण।

नोट – उपर्युक्त आदेश दिनांक 19.06.2024 से प्रभावी होगा तथा पुलिस थाना सदर, बून्दी की दिनांक 12.02.2024 से अब तक की, अर्थात् दिनांक 18.06.2024 तक की ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट जिनमें अभी तक अंतिम परिणाम प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनमें नतीजे नवीन क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2024/1102-1172

दिनांक : 18.06.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी
- (2) श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी
- (3) श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी (4) पुलिस कन्ट्रोल रूम, बून्दी.
- (5) श्रीमान् न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी
- (6) श्रीमान् न्यायाधीश महोदय, एम.ए.सी.टी. संख्या-1/2, बून्दी
- (7) श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो संख्या-1/2, बून्दी
- (8) श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, अ.जा.अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, बून्दी

- (9) श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, क्रम-1/2, बून्दी  
 (10) श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नैनवां जिला बून्दी  
 (11) श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी  
 (12) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी  
 (13) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी/नैनवां/हिण्डोली/के.पाटन  
 (14) न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी/हिण्डोली/तालेड़ा/केशवरायपाटन/नैनवां/  
 इन्द्रगढ़/लाखेरी।  
 (15) न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1/2/3, बून्दी/किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी  
 (16) न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा (17) सहायक निदेशक, अभियोजन, बून्दी  
 (18) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी (19) जिला रसद अधिकारी, बून्दी  
 (20) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी (21) उप कारापाल, नैनवां  
 (22) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी (23) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी  
 (24) थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, बून्दी/सदर, बून्दी/तालेड़ा/डाबी/  
 केशवरायपाटन/कापरेन/ नैनवां/देई/करवर/लाखेरी/इन्द्रगढ़/हिण्डोली/  
 दबलाना/बसोली/गेण्डोली/नमाना/देईखेड़ा/महिला पुलिस थाना बून्दी/रायथल  
 आबकारी थाना, बून्दी शहर/लाखेरी/नैनवां मुख्यालय हिण्डोली/आबकारी  
 निरीक्षक वृत्त, बून्दी नगर, नैनवां एवं बून्दी रोड, के.पाटन  
 (25) प्रभारी अधिकारी वायरलेस, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस आदेश को  
 सभी आरक्षी केन्द्रों को संसूचित करें।  
 (26) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस  
 आदेश को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।  
 (27) कार्यालय पंजिका  
 (28) जिला परिवहन अधिकारी, बून्दी

*रु. 18/11/14*

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 बून्दी (राजस्थान)